

आवेदन पत्र में उल्लेखित नामों के संबंध में जमा की गई। जिनके अनुसार ग्राम (सीधवा) के राजस्व वर्ष 2025, 2026 में अधिकार का नाम सावंलम पुत्र द्युमानु दर्ज है प्रार्थी के बाधार काटे व चैन काटे व प्रशासन काटे में नाम सावंलम पुत्र द्युमानु काटे के अंगुमार कुह किया जाना उचित है।

क्रमांक राजस्व / 2020 /

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम गुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम गुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

(Signature)
तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझु (राज.)
- आदेश :-

दिनांक :- 11-10-2021

प्रार्थी के "खाता गुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अभित्तिथम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	सावंलम	2075-2078	209	सावंलम पुत्र द्युमानु	सावंलम पुत्र द्युमानु
			512	सावंलम पुत्र द्युमानु	सावंलम पुत्र द्युमानु

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

क्रमांक :- राजस्व / 2020 /
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 11-10-2021

को सूचनार्थ।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी